



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9750

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 260 सन् 2026

सुरेश चंद्र वर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रजिया सुल्तान, यशपाल यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री यशपाल यादव और सुश्री रजिया सुल्तान तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव की दलीलें सुनी गईं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने अदालत में कथन किया कि उन्हें सभी निर्देश भलीभांति प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं। वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
3. इस याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना याचिकाकर्ता का जिला जालौन से जिला फर्रुखाबाद में स्थानांतरण के दावे पर विचार करने की है, क्योंकि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के कगार पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीसरे प्रत्यर्थी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय, टावर 1, चौथी मंजिल, शहीद पथ, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

5. उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 22.01.2026 तक तीसरे प्रत्यर्थी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय, टावर 1, चौथी मंजिल, शहीद पथ, गोमती नगर, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरे प्रत्यर्थी दो माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

14 जनवरी 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)